संख्या	ब्लाक का नाम	जिला
6.	बेतुल	बेतुल
7.	धर्मजयगढ़	रायगढ़
8.	अम्बिकापुर	सरगुजा
9.	झाबुआ	झाबुआ
10.	गोटगांव	नरसिंहपुर
11.	विजयराघवगढ़	जबलपुर
12.	सियौनी	सियौनी
13.	अमरपाटन	सतना
14.	सिद्धि	सिद्धि
15.	शाहनगर	पन्ना
16.	कोटा	बिलासपुर
17.	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
18.	अब्दुल्लागंज	रायसेन
19.	बागली	देवास
20.	महो	इन्दौर
21.	बैरासिया	भोपाल
22.	गंजबसेदा	विदिशा
23.	नेहोरा	मेहोर
24.	नरसिंहगढ़	राजगढ़
25.	राहतगढ़	सागर
26.	दमोह	दमोह
27.	छतरपुर	छतरपुर
28.	कांटजी	बाल घाट
29.	दुरा	दुर्ग
30.	अभानपुर	रायपुर
31.	घाटीगांव	ग्वालियर
32.	पिछौरी	शिवपुरी
33.	चंदेरी	गुना
34.	कालपिप्पल	शाजपुर
35.	महिदपुर	उज्जैन
36.	मनासा	मन्दसौर
37.	बाघवा	खारगान

सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई

2416. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेषतया गुजरात में सौर ऊर्जा की सहायता से सिंचाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या फ्रांस ने इन प्रयोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो वे निबंधन और शर्तें क्या हैं जिनके तहत सहायता प्रदान की गई है ; और

(ङ) कार्यान्वित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजनायें किस प्रकार की है ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कृषि और संबंधित उपयोगों के लिए 200-1300 डब्ल्यू० पी० के बीच पी०वी० अरे क्षमता की 1000 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों के आबंटन के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान एक प्रदर्शन परियोजना शुरु की थी । परियोजना को बाजार अभिविन्यास के रूप में कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को सौंपी गई थी । इस योजना के तहत राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं । अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की वित्तीय सहायता से गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से छठी और सातवीं योजना के दौरान माइक्रो सिंचाई सहित विभिन्न जल पम्पन आवश्यकताओं के लिए गुजरात में 300-360 डब्ल्यू०पी० की 98 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियों स्थापित की गई हैं ।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ गांवों में 50 सौर

पी०वी० पम्पों की संस्थापना के लिए भारत-फ्रांसीसी जल संसाधन सहयोग कार्यक्रम के तहत "ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई और जल आपूर्ति पर आधारित सौर ऊर्जा हेतु एक प्रायोगिक परियोजना" का प्रस्ताव किया गया है । फ्रांस सरकार ने प्रायोगिक परियोजना के लिए 2.00 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक का अनुदान और 3.8 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक का ऋण (कुल 2.96 करोड़ रुपए के समतुल्य) प्रदान करने का प्रस्ताव किया है । प्रयोगिक परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक प्रबंधन के माध्यम से छोटे और सीमान्तिक किसानों को लाभ पहुंचाना है ।

.. Import of waste from USA ..

2417. SHRI AJIT P. K. JOGI:
SHRI RAM GOPAL YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to import waste from the USA for generation of power on project Hazel near Kochi;

(b) if so, the norms to decide the kind of waste to be imported;

(c) whether there is a possibility of environmental hazard as a result of the project;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) There is no such proposal before the Government.

(b) to (e) Does not arise.

Guidelines to State Governments regarding Non-conventional Energy

2418. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have issued model guidelines to State Government suggesting ways in which non-conventional energy can be brought by SEBs;

(b) if so, the details of the guidelines;

(c) whether State Governments have agreed to cooperate in implementing these guidelines; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) A set of guidelines has been forwarded to all the States towards a uniform policy pertaining to private sector power projects based on Non-Conventional Energy Sources. The guidelines include incentives and facilities for wheeling, banking, third party sale and buy-back of electricity generated by the Non-Conventional Energy Sources at a minimum rate of Rs. 2.25 per unit by the State Electricity Boards.

(c) and (d) Policies have already been announced by Punjab, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh based on these guidelines. Policies in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala have been modified to incorporate some of the suggestions. Certain policies have also been announced by Gujarat and Karnataka. The matter is being pursued with other States.